वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

अगस्त, 2024 के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग में हुए महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

i. बैंककारी संशोधन विधेयक,2024 दिनांक 09.08.2024 को संसद में पुर:स्थापित किया गया है। विधेयक का उद्देश्य अभिशासन के मानकों को बढ़ाना, जमाकर्ताओं और निवेशकों की सुरक्षा को मज़बूत करना और बैंकों द्वारा आरबीआई को दी जानेवाली संवैधानिक रिपोर्टिंग में बदलाव लाना हैं। इसके अतिरिक्त, ये संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखापरीक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, ग्राहक सुविधा के लिए नामांकन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने और सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल को 97वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप बनाने की मांग करती है।

ii. माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 02.08.2024 को पेटीएम पेंमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड के एफडीआई प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

iii. सरकार ने यूको बैंक को दिनांक 06.08.2024 को क्यूआईपी के माध्यम से बाज़ार से 2000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाने की अनुमति दी है।

iv. माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 19.08.2024 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा में विभिन्न वित्तीय पैरामीटरों जैसे जमाराशि जुटाना, एनसीएलटी और एनएआरसीएल के माध्यम से पीएसबी द्वारा किए गए वसूली का प्रयास, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ऋण तक पहुंच आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

v. दिनांक 19.8.2024 को नई दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आरआरबी की राष्ट्र स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। उनके कार्य और वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए क्षेत्र-वार समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। ऐसी ही एक क्षेत्रीय समीक्षा दिनांक 22.08.2024 को उदयपुर में आयोजित की गयी थी।

vi. विभाग ने आईबीसी के अंतर्गत स्वीकृति के लिए लंबित शीर्ष 20 मामलों पर पीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की और अगस्त के महीने में सचिव की अध्यक्षता में एनएआरसीएल में लंबित मामलों पर एक और समीक्षा बैठक आयोजित की।

vii. अन्य नियमित उपायों और महत्वपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा इसके साथ संलग्न है।

वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्य नियमित कार्यकलाप

1. प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रगति:

योजनाएं	दिनांक 28.08.2024 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (योजना को आरंभ किए जाने से लेकर)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृद्धि (दिनांक 28.08.2024 की स्थिति के अनुसार)	अगस्त, 2024 में वृद्धि (दिनांक 28.08..2024 तक)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)			
• पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	53.27 करोड़	132.54 लाख	28.60 (19.68 लाख ग्रामीण + 8.92 लाख शहरी)
• जमाराशि	2,27,962 करोड़ रुपए	(-4,539.82) करोड़ रुपए	(-399.53) करोड़ रुपए
• रुपे कार्ड की संख्या	36.28 करोड़	93.29 लाख	30.77 लाख
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)			
• नामांकन	45.89 करोड़	209 लाख	53 लाख
• संवितरित दावों की संख्या	1,43,159	8,586	1,907
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)			
• नामांकन	20.87 करोड़	96 लाख	24 लाख
• संवितरित दावों की संख्या	8,26,921	49,002	7,967
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (31.08.2024)	6.87 करोड़	43.46 लाख	10.82 लाख

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

पीएमएमवाई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 23.08.2024 की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (23.08.2024 तक)		अगस्त, 2024 के दौरान (23.08.2024 तक)	
	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)
शिशु	39.23	11.16	0.81	0.30	0.11	0.04
किशोर	8.97	11.84	0.51	0.64	0.08	0.11
तरूण	1.02	7.28	0.05	0.44	0.01	0.09
कुल	**49.22**	**30.28**	**1.37**	**1.38**	**0.20**	**0.24**
एससी/एसटी/ओबीसी (कुल में शामिल)	24.80	10.58	0.75	0.49	0.11	0.08
महिलाएं (कुल में से)	33.45	13.41	0.95	0.56	0.13	0.09

स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूआई)

एसयूआई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 31.08.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 31.08.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		अगस्त 2024 के दौरान (दिनांक 31.08.2024 तक)	
	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
अ.जा.	44,101	9,334.18	6,068	1,267.18	1,664	358.43
अ.ज.जा.	14,509	3,101.12	1,789	368.24	485	101.33
महिलाएं	1,87,532	43,206.66	10,158	2,434.92	2,306	548.35
कुल	**2,46,142**	**55,641.96**	**18,015**	**4,070.34**	**4,455**	**1,008.11**

2. **अकाउंट एग्रीगेटर:** दिनांक 31.8.2024 की स्थिति के अनुसार, 62 वित्तीय संस्थाओं (एफआई) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में, 382 एफआई ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में तथा 101 एफआई ने एफआईपी तथा एफआईयू दोनों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। 2.12 बिलियन पात्र बैंक खातों (जिसमें 1.64 बिलियन बैंक खाते शामिल हैं) में से लगभग 92.24 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते को एए ढांचे से संबद्ध किया है।

3. **डिजिटल भुगतान:** देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन अगस्त 2024 माह में कुल 1760 करोड़ तक पहुंच गया है और इसमें 1496 करोड़ यूपीआई लेनदेन शामिल हैं।

4. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** दिनांक 29.08.2024 की स्थिति के अनुसार 12,660.23 करोड़ रुपये की राशि के कुल 91.85 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 87.78 लाख ऋण आवेदनों में 12,001.55 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

5. **खातों को आधार से जोड़ना:** दिनांक 23.08.2024 की स्थिति के अनुसार, 173.63 करोड़ कासा खातों में से 152.31 करोड़ खातों (87.7%) को आधार से जोड़ दिया गया है।

6. **पीएमजेडीवाई खाताधारकों को बीमा कवरेज:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 6.43 करोड़ और 15.74 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है जिनमें से अगस्त, 2024 के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 4.91 लाख और 12.09 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है।

****